



Meticulous Investigation & Prosecution BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी तसलीम, सरताज, जच्चार, व युनूस को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुआ 10 वर्ष का कारावास व 17,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1-तसलीम पुत्र रफीक, 2-सरताज पुत्र युनूस, 3-जच्चार व युनूस पुत्रगण जहुरुद्दीन निवासी ग्राम गौसपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2012 में वादी के घर में घुसकर गैर इरादतन हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0- 354/2012 धारा 304/452/323/34 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 18.07.2024 को मा0 न्यायालय जिला जज जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों तसलीम, सरताज, जच्चार, व युनूस को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के कारावास व 17,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अभियुक्त तसलीम को अन्य मु0अ0सं0 357/12 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में भी 01 वर्ष के कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।



श्री राहुल नेहरा डीजीसी
जनपद बागपत

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



Meticulous Investigation & Prosecution BAGHPAT POLICE



गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी जुल्फिकार उर्फ पुकार को हुई 02 वर्ष के कारावास व 5,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि वर्ष-2006 में अभियुक्त जुल्फिकार उर्फ पुकार पुत्र इब्राहिम निवासी ग्राम गंगेरू थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना दोघट पर मु0अ0सं0- 224/2006 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 18.07.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी 01 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त जुल्फिकार उर्फ पुकार को दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है । बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी सुधीर उर्फ पप्पू को हुई 03 वर्ष के कारावास व 5,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सुधीर मलिक उर्फ पप्पू पुत्र मेहताब निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 171/2002 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 18.07.2024 को मा0 न्यायालय जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सुधीर उर्फ पप्पू को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कारावास व 5,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 18-07-2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर तमन्चे के साथ वीडियो वायरल के आरोपी को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति का तमन्चें के साथ वीडियो वायरल हुआ था, जिसका थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया एवं व्यक्ति को चिन्हित किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में आरोपी को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे एवं लाईसेंसी हथियारों का प्रदर्शन ना किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अनिल पुत्र सतपाल निवासी ग्राम फुलैरा थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 378 बलराज सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-का0 427 अरुण भाटी थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 18.07.2024

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 317/24 धारा 323/324/352/452/307 /504/34 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.06.2024 को थाना बड़ौत पर वादी श्री मिन्टू पुत्र श्री सतपाल निवासी ग्राम बावली पट्टी मौल्हू थाना बड़ौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1-मोन्टी पुत्र बाबू, 2-रामवीर, 3-रामकिशन, 4-बाबू पुत्रगण मुन्शी निवासीगण ग्राम बावली पट्टी मोल्हू थाना बड़ौत जनपद बागपत के द्वारा एक राय होकर उसके घर में घुसकर



धारदार हथियार से उसके व उसके परिजन के ऊपर जान से मारने की नीयत से हमला कर गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 314/24 धारा 147/148/452/323/324/307/352/504 भादवि पंजीकृत किया गया ।

नोट- उक्त अभियोग में थाना बड़ौत पुलिस द्वारा अभियुक्तों 1.बाबूराम पुत्र मुन्शी, 2.मोन्टी पुत्र बाबूराम को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 317/24 धारा 323/324/352/452/307/504/34 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम

रामबीर पुत्र मुन्शी निवासी ग्राम बावली पट्टी मोल्हू थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

2-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।



दिनांक 18.07.2024

थाना बडौत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सुरेश पुत्र पित्तम सिंह निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-विपिन पुत्र जीवन निवासी पट्टी मेहर करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-संजीव पुत्र बलजोर सिंह निवासी पट्टी खोब्बा महावतपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री पुष्पराज विश्रोई थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 19 अमित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6-का0 525 महेशचन्द थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 7-का0 468 आबिद अली थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 8-का0 970 रोहित अत्री थाना बडौत जनपद बागपत ।



दिनांक 18.07.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अमित कुमार पुत्र विष्णु निवासी ग्राम कन्डेरा थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री हिमांशु सागर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-का0 1076 विकास यादव थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-हो0गा0 575 विनोद कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

